न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 09/2017 (अपील)
दायर दिनांक – 07/09/2017
निर्णय दिनांक – 30/11/2017

अनवान

1. श्यामसुन्दर पिता हीरालाल दशोरा, निवासी बैठुम्बी तहसील रेलमगरा, हाल निवासी न्यू मार्केट, रावत भाटा, जिला चित्तोडगढ।
2. घीसी बाई बेवा हीरालाल जाति दशोरां, निवासी बैठुम्बी, तहसील रेलमगरा।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत जीतावास, जरिये सरपंच जीतावास, तहसील रेलमगरा
2. ग्राम पंचायत पनोतिया, जरिये सरपंच पनोतिया, तहसील रेलमगरा
3. मंयक पिता रामलाल दशोरा, निवासी बैठुम्बी, तहसील रेलमगरा
4. मोहनलाल पिता हीरालाल दशोरा, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा
5. लाली पिता हीरालाल दशोरा, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा

रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध ना.स. 149 दिनांक 15.12.1976 ग्राम पंचायत जीतावास

: : निर्णय : :

अपीलाण्ट ने जरिये अधिवक्ता अपील विरूद्ध ना.स. 149 दिनांक 15.12.1976 ग्राम पंचायत जीतावास के इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि अपीलाण्टगण व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 से लगायत 5 सभी स्व. हीरालाल पिता बछराज ब्राहमण दशोरा के विधिक वारिसान है। जिनमें अपीलाण्ट संख्या 1 हीरालाल का पुत्र अपीलाण्ट संख्या 2 हीरालाल की पत्नि व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 हीरालाल का पोत्र है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 4 हीरालाल का पुत्र व रेस्पोडेण्ट संख्या 5 हीरालाल की पुत्री है। जिसका सजरा अपील में अंकित है। स्व. हीरालाल पिता बछराज के नाम ग्राम बैठम्बी में आराजी संख्या 664, 665, 667 कुल किता 3 कुल रकबा 6 बिघा 12 बिस्वा। उक्त आराजीयात में स्व. हीरालाल का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज था, आराजी संख्या 339, 340, 341 कुल किता 3 कुल रकबा 2 बिघा 07 बिस्वा। उक्त आराजीयात का सम्पूर्ण रकबा स्व. हीरालाल के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज था, आराजी संख्या 656, 666 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बिघा 00 बिस्वा। उक्त आराजीयात में स्व. हीरालाल का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज था। एवं आराजी संख्या

शावि
[सहा]यक कलक्टर
[उपख]ण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

63 कुल किता 1 कुल रकबा 0 बिघा 03 बिस्वा। उक्त आराजीयात में स्व. हीरालाल का /4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी कृषि आराजीयात स्थित रही है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी सम्वत 2030–33 की जमाबन्दी साथ संलग्न है। अपील की कलम संख्या 1 में वर्णित विधिक वारिसान स्व. हीरालाल के है लेकिन हीरालाल की मृत्यु के पश्चात पटवार हल्का जीतावास द्वारा उसका विरासत का नामान्तकरण भरा उसमें अपीलाण्टगण श्यामसुन्दर व घीसी बाई के नाम विरासत का नामान्तरकरण नहीं भरा एवं नामान्तरकरण में जगह अपीलाण्ट के नाम की खाली छोड दी एवं बाकी बदस्तुत खाता रखा गया। जबकि अपीलाण्ट संख्या 1 स्व हीरालाल पिता बछराज का पुत्र है तथा अपीलाण्ट संख्या 2 स्व. घीसी बाई पत्नि है। जिनके नाम पटवार हल्का द्वारा नामान्तरकरण नहीं भरकर भारी विधि एवं तथ्य की भुल की है न ही तत्कालिन रेवेन्यू इन्सपेक्टर एवं ग्राम पंचायत द्वारा भी किसी प्रकार की कोई जांच नहीं कर विधि विरूद्ध नामान्तरकरण भरकर प्रस्तुत किये है एवं ग्राम पंचायत के द्वारा फैसल किया गया जो गलत किया गया है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2030–33 की जमाबन्दी एवं नामान्तरकरण संख्या 149 की प्रमाणित प्रति साथ प्रस्तुत है। उक्त विधि विरूद्ध नामान्तरकरण से अप्रसन्न होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है। स्व. हीरालाल की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 149 ग्राम पंचायत जीतावास द्वारा दिनांक 15.12.1976 को फेसल किया गया । स्व. हीरालाल के नाम दर्ज कृषि भूमियों की जमाबन्दीयों की नकल की प्रमाणित प्रतियां साथ संलग्न है। उक्त नामान्तरकरण तत्कालिन पटवार हल्का द्वारा सही जांच नी कर हीरालाल के विधिक वारिसान का नाम नामन्तरकरण में गलत अंकन कर फेसल करवाया है। जिसमें हीरालाल के विधिक वारिसान अपीलाण्टगण व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 से लगायत 5 है। जबकि पटवार हल्का ने हीरालाल का सजरा भी नही बनाया एवं नामान्तरकरण फाईल के कलम संख्या 11 में वारिसान के विवरण में मात्र रामलाल व मोहनलाल व लाली का नाम ही लिखा है बाकि जगह खाली छोड रखी है न ही तत्कालीन पटवार हल्का द्वारा स्व. हीरालाल के विधिक वारिसान की जांच की है न ही तत्कालिन ग्राम पंचायत द्वारा जो भी जो कि एक लोकल बोडी होती है उसे उसके क्षेत्र के लोगों की जानकारी रहती है एवं वास्तविक वारिसो की जांच पंचायत भी स्वंय अपने स्तर पर कर सकती थी। जिसने भी उक्त जांच नहीं कर भारी विधि एवं तथ्य की भुल की है। अपीलाण्ट स्व. हीरालाल के विधिक वारिस है तथा हीरालाल की उक्त आराजीयात में अपीलाण्टगण एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 3, 4, 5 का समान हिस्सा एवं हक है एवं उनका नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने बाबत यह अपील आप न्यायालय में अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत की जा रहीं है। अपीलाण्टगण व उसकी माता घीसी बाई दोनों साथ रहते है तथा अपीलाण्टगण नौकरी करने हेतु रावतभाटा चित्तोडगढ में निवासरत होने के कारण अपीलाण्ट को उक्त रेकार्ड में गलत ईन्द्राज होने की जानकारी नहीं थी। क्योंकि अपीलाण्ट का मौके पर जमीन पर कब्जा काश्त नियमित हिस्से अनुसार था एवं अपीलाण्ट समय समय पर अपनी आराजीयात का उपयोग उपभोग कर फसल का हिस्सा प्राप्त कर रहे थे लेकिन अपीलाण्ट को अपने निजी कार्य हेतु लोन लेने की आवश्यकता पडने पर रेकार्ड

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

की नकले प्राप्त कर अतिशिघ्र जानकारी होते ही यह अपील आप न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। अपीलाण्टगण को उक्त गलत नामान्तरकरण की जानकारी आज से 1 माह पूर्व जब राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तो पता चला तो आपीलाण्टगण ने सारे दस्तावेज प्राप्त कर उक्त अपील आप न्यायालय में प्रस्तुत करनी पड रही है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 149 दिनांक 15.12.1976 को ग्राम पंचायत जीतावास द्वारा फैसल किया गया था तत्कालीन समय ग्राम बैठुम्बी की ग्राम पंचायत जीतावास थी एवं अब ग्राम पंचायत पनोतिया के अन्तर्गत ग्राम बैठुम्बी है। जिस कारण ग्राम पंचायत पनोतिया को भी पक्षकार बनाया गया है वरना उसके विरूद्ध कोई दाद नहीं चाही गई है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील स्व. हीरालाल की आराजीयात के सम्बन्ध में ही प्रस्तुत की गई है जिस कारण उक्त हीरालाल की आराजीयात के साथ सहखातेदार भी है। जिन्हे अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। क्योंकि यह अपील हीरालाल की आराजीयात एवं उसके विरासत के सम्बन्ध में है तथा अपील से सहखातेदार के हिस्से, रकबे, अथवा कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। न ही सहखातेदार इस अपील से प्रभावित होंगे जिस कारण उन्हें पक्षकार नहीं बनया गया है तथा न ही सहखातेदारान के विरूद्ध कोई दाद ही वांछीत है। रेस्पोडेण्ट संख्या 3 स्व. हीरालाल के पुत्र स्व. रामलाल का विधिक वारिस है। अपीलाण्ट ने अपील प्रस्तुत करने में जानकारी होते ही कोई लापरवाही नहीं कि है फिर कानुनी आपत्ति को ध्यान में रखते हुए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ संलग्न है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत जीतावास के नामान्तरकरण संख्या 149 दिनांक 15.12.1976 को निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार रेलमगरा को आदेश प्रदान करावें कि स्व. हीरालाल पिता बछराज के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण विधिक वारिसान के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान कराया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01, 02 व 04 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये। प्रकरण में अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेण्ट्स संख्या 03 व 05 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

पक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन करने एवं पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि अपीलाण्ट्स स्व. हीरालाल पिता बछराज के विधिक वारिसान होकर वादग्रस्त भूमियां पैतृक सम्पतियां है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत पैतृक सम्पत्यिों में प्रत्येक उत्तराधिकारी का समान हक अधिकार निहीत है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जीतावास के न्तरकरण संख्या 146 दिनांक 15/12/1976 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार गरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुन कर तथा हीरालाल पिता बछराज दशोरा के विधिक वारिसान की जांच कर नये सिरे से अनुरूप नामान्तरकरण पारित किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम जावें।

निर्णय आज दिनांक 30/11/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा